MSOS GET FINAL ADVISORY

The Govt has issued a final advisory to 265 non-compliant Multi System Operators (MSO) asking them to furnish the requisite details/information and get their status changed to "Compliant", latest by January 31, 2024, failing which their MSO registration could be cancelled.

The ministry has said that one of the terms and conditions of the MSO registration was that MSOs shall comply with the provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, and the Rules made thereunder, as amended, and adhere to all the terms and conditions of the registration. Failing to do so, the permission/ registration is liable to be cancelled or suspended.

सत्यमेव जयते

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

Furthermore, through this Ministry's advisory dated March 23, 2023, all broadcasters have been advised not to enter into interconnection agreements with non-compliant MSOs and to notify the non-compliant MSOs with whom they already have interconnection agreements

The advisory further reads: "However, despite being classified as "Non-Compliant", the scheduled MSOs have not made any reference to this Ministry for change in their status to "Compliant". Accordingly, an advisory dated August 1, 2023 was issued to these MSOs in which they were requested to furnish the requisite documents and get their status changed to "Compliant" by August 15, 2023."

As the scheduled MSOs did not provide the requisite clarification/explanation within the stipulated period, therefore, a Show Cause Notice dated 04.09.2023 was issued seeking reasons for their non-compliance with the terms and conditions of registration. Time period of 15 days was granted to the scheduled MSOs to fumish the requisite response.

The scheduled MSOs still did not provide the requisite details within the stipulated period. "It has been observed that despite lapse of the given period, the scheduled MSOs have failed to provide the requisite information or make any reference to this Ministry regarding their compliance status."

MIB said that the broadcasters are also advised to not enter into fresh interconnection agreements or renew the existing agreements with MSOs till their status is changed to Compliant.■

अंतिम चेतावनी मिली एमएसओएस को

सरकार ने **265** गैर–अनुपालक मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को एक अंतिम सलाह जारी की है जिसमें उन्हें आवश्यक जानकारी/विवरण देने और **31** जनवरी **2024** तक अपनी स्थिति को 'अनुपालक' में बदलने के लिए कहा गया है, ऐसा ना करने पर उनका एमएसओ पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि एमएसओ पंजीकरण के नियमों व शर्तों में एक यह भी था कि एमएसओ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, **1995** के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियम यथा संशोधित और पंजीकरण के सभी नियमों और सभी शर्तो का पालन करते हैं। ऐसा न करने पर अनुमति/पंजीकरण रद्द या निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रालय ने **23** मार्च **2023** की सलाह में प्रसारकों को गैर अनुपालन वाले एमएसओ के साथ इंटरकनेक्शन समझौते में प्रवेश न करने और गैर अनुपालन वाले एमएसओ को सूचित करने के लिए सूचित किया गया है, जिनके साथ उनके पहले से ही इंटरकनेक्शन समझौते हैं।

सलाहकार में आगे कहा गया है कि 'हालांकि 'गैर अनुपालक' के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद, अनुसूचित एमएसओ ने अपनी स्थिति को 'अनुपालक' में बदलने के लिए इस मंत्रालय को कोई संदर्भ नहीं दिया है। तदनुसार, इन एमएसओ को **1** अगस्त **2023** को एक सलाहकार जारी की गयी थी जिसमें उनसे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने और **15** अगस्त **2023** तक अपनी स्थिति को 'अनुपालक' में बदलने का अनुरोध किया गया था। चूंकि निर्धारित एमएसओ ने निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित स्पष्टीकरण/व्याख्या प्रदान नहीं किया था, इसलिए, पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने के कारणों की मांग करते हुए दिनांक **04.09.2023** को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपेक्षित प्रतिक्रिया देने के लिए संबंधित एमएसओ को **15** दिनों की समयावधि दी गयी थी।

संबंधित एमएसओ ने निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं कराया। 'यह देखा गया है कि दी गयी अवधि बीत जाने के बावजूद, अनुसूचित एमएसओ अपेक्षित जानकारी प्रदान करने या अपनी अनुपालन स्थिति के संबंध में इस मंत्रालय को कोई संदर्भ देने में विफल रहे।'

एमआईबी ने कहा कि प्रसारको को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एमएसओ के साथ नये इंटरकनेक्शन समझौते न करें या मौजूदा समझौतों को नवीनीकृत न करें जब तक कि उनकी स्थिति अनुपालन में न बदल जाये। ■